country including the State of Punjab under the on going schemes on self employment like Integrated Rural Development programme, Prime Minister's Rozgar Yojana, Scheme for Urban Micro Enterprises under Nehru Rozgar Yojana, etc.

(c) It may be mentioned that employment is a thrust area of the Eighth Five Year Plan. The Plan envisages a strategy for accelerating growth of productive employment opportunities in the country both for the educated as well as the uneducated unemployed on the basis of a faster growth of employment-Intensive sectors, sub-sectors and activities. In addition, various special employment schemes like Jawahar Rozgar Yojana, Nehru Rozgar yojana, Prime Minister's Rozgar Yojana etc. being implemented in various states, provide additional wage and self employment opportunities.

Import of Sugar

64. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the various news items appearing in the print media against the import of sugar; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) In the early part of the current season when the firm production trends were not available, Government, with a view to ensure adequate availability of sugar for public distribution System, in the event of sugar production not coming up to the expected level, have directed STC& MMTC to enter into forward contracts for import of sugar. However, in view of the encouraging production trends indicative of higher level of production likely to be achieved, Government has decided to dispose of as much as of the contracted sugar as is possible in the international market at the best possible price.

Importers availing benefits of Export Capital Goods Scheme

65. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the number of importers who had availed of the benefits of Export Capital Goods Scheme that provides for import of machinery at concessional rates of duty against export obligations during 1994-95;

(b) how many of these importers defaulted in fulfilling the export commitments; and

(c) what action has been taken/ proposed to be taken against such defaulters?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) During the year 1994-95, 2077 licences were issued under EPCG Scheme. As the Export Obligation period against these licences is valid till 1999-2000, there is no question of any default at this stage.

राष्ट्रीय श्रम केन्द्र

66. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के हितों के संरक्षण के लिए हाल ही में राष्ट्रीय श्रम केन्द्र (नेशनल सेन्टर फार लेबर) नामक मजदूर संगठन का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों की दशा संगठित क्षेत्र के व्यक्तियों की तुलना में बहुत खराब है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बनी राष्ट्रीय स्तर की उपर्युक्त संस्था की सहायता से कोई श्रम कल्याण योजना तैयार की है?

श्रम मंत्री (श्री पी॰ एम॰ संगमा): (क) और (ख) सरकार ने कोई राष्ट्रीय श्रम केन्द्र स्थापित नहीं किया है।

(ग) और (घ) अधिकतर श्रम कानून संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मकारों पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने असंगठित कर्मकारों की कुछ श्रेणियों के लिए उन्हें स्वास्थ्य, आवासीय, सामाजिक सुरक्षा, शैक्षणिक और आमोद-प्रमोद सुविधाएं प्रदान करने के लिए कल्याण निधियां स्थापित की हैं।

(ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

67. **श्री नरेश यादव**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक की स्थिति के अनुसार, देश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गोदामों की संख्या, राज्यों की मांग के अनुसार पर्याप्त है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में ऐसे गोदाम जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं जिसके कारण बहुमूल्य खाद्यान्नों का भण्डारण अत्यन्त कठिन हो गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 1.6.1995 को स्थिति के अनुसार अपने और किराये के विभिन्न प्रकार के गोदामों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ख) माइक्रो स्तर पर निगम द्वारा निर्मित/किराये पर लिए गए गोदामों की संख्या वर्तमान स्टाक का भण्डार करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है। तथापि, पिछड़े, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों तथा अधिक वसूली क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम की आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6.60 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने की योजना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) गोदामों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के फील्ड इंजीनियरिंग कार्मिकों द्वारा नियमित आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं। जहां कहीं आवश्यक हो वहां समय पर मरम्मत और रख-रखाव कर गोदामों को भण्डारण योग्य रखा जाता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1.6.1995 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न प्रकार के गोदामों (निजी और किराये के दोनों) के राज्यवार ब्यौरे

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	गोदामों की कुल संख्या
1.	बिहार	66
2.	उड़ीसा	46
3.	पश्चिम बंगाल	79
4.	सिक्किम	3
5.	असम	43
6.	अरूणाचल प्रदेश	3
7.	त्रिपुरा	7
8.	मणिपुर	3
9.	नागालैंड	5
10.	मिजोरम	5
11.	मेघालय	6
12.	दिल्ली	10
13.	हरियाणा	142
14.	हिमाचल प्रदेश	17
15.	जम्मू तथा कश्मीर	16
16.	पंजाब	544
17.	चण्डीगढ़	17
18.	राजस्थान	125
19.	उत्तर प्रदेश	292
20.	आन्ध्र प्रदेश	172
21.	केरल	32
22.	कर्नाटक	40
23.	तमिलनाडु	32
24.	गोवा	3
25.	गुजरात	58